भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 3832

<u>दिनांक 11 दिसम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

अनिवार्य निर्यात नियम हेतु प्रस्ताव

3832. श्री वेलुसामी पी॰:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जब घरेलू उत्पादन, घरेलू मांग से अधिक है तो सरकार का अनिवार्य निर्यात नियम हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें घरेलू उत्पादन की उत्पादन लागत से कम हो, तो क्या सरकार कीमतों में अंतर को कम करने के लिए प्रोत्साहन और नकद राजसहायता सहित किसी प्रकार की सहायता प्रदान करेगी; और

(घ) अनिवार्य निर्यात नियम के अंतर्गत वस्तुओं या शामिल की जाने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और इन नियमों का अनुपालन न करने हेतु अर्थदण्ड प्रावधान क्या हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) : घरेलु बाजार हेतु निर्धारित चीनी की न्यूनतम कीमतों से अंतराष्ट्रीय बाजार में प्रचलित चीनी की कीमतें कम होने की वज़ह से, भारत सरकार ने मौजूदा चीनी के सीज़न 2019–20 (अक्तूबर–सितम्बर) हेतु चीनी मिल द्वारा चीनी के निर्यात पर 10,448/– रु. प्रति टन दर के अंतर की सहायता प्रदान करने का निणर्य लिया है।

(घ) : उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

***